

वे; क; &4

i fj ; kstuk ds çfrQy

यह अध्याय निष्पादन लेखापरीक्षा में आच्छादित दोनों सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात अपेक्षित लाभों और उन लाभों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इन दोनों नहर परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र में कृषि क्रियाओं की सफलता हेतु आवश्यक कुछ प्रमुख आदानों की उपलब्धता पर भी चर्चा इस अध्याय में की गयी है।

yſ[kkijh{k mſ'; 3% i fj ; kstukvks / s viſ[kr ykkk iklr fd, x, vks mllg ykkkkfk;k rd djkrykiold , oaihkkoh <x / s igpk; k x; kA

वे; क; dk | kj

- बाणसागर नहर परियोजना को जुलाई 2018 से संचालित कर दिया गया जबकि इसकी नौ नहर प्रणालियों में से चार नहर प्रणालियों को लिंक चैनेल के अभाव में मेजा जिरगो लिंक नहर से जल प्राप्त करने हेतु जोड़ा नहीं गया था।
- बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों में जल की उपलब्धता को वांछित स्तर तक नहीं बढ़ाया जा सका था। बाणसागर डैम से 34,008 मिलियन घन फीट जल की आपूर्ति प्राप्त होने के लक्ष्य की तुलना में वास्तविक आपूर्ति पांच से नौ प्रतिशत तक सीमित थी।
- इसी प्रकार, लहचुरा डैम में जल की कम उपलब्धता के कारण वर्ष 2014–15 से 2020–21 तक की अवधि में धसान नहर प्रणाली की आश्यकता के सापेक्ष 22 से 68 प्रतिशत कम जल छोड़ा गया था।
- वर्ष 2014–21 की अवधि में नहर प्रणालियों में जल की कम आपूर्ति के कारण नहरों का संचालन प्रभावित हुआ। जुलाई 2018 में बाणसागर नहर परियोजना का संचालन प्रारम्भ होने के पश्चात सम्पूर्ण रबी फसल की अवधि में मात्र 46 प्रतिशत नहरों ही संचालित हुई। धसान नहर प्रणाली में वर्ष 2014–21 के मध्य 88 नहरों में से कोई भी नहर रबी फसल की पांच माह की सम्पूर्ण अवधि के दौरान संचालित नहीं हुई।
- बाणसागर नहर परियोजना को संचालन आरम्भ होने के पश्चात सिंचाई की सघनता में लक्षित वृद्धि (रबी 83:प्रतिशत तथा खरीफ: 67 प्रतिशत) नहीं हुई। सिंचाई सघनता के सृजन में रबी में 44 से 45 प्रतिशत तक और खरीफ में 32 से 33 प्रतिशत तक की कमी थी।
- धसान नहर प्रणाली के 97,169 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में, विभाग द्वारा रबी फसल हेतु मात्र 31,910 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) तथा खरीफ फसल हेतु मात्र 14,575 हेक्टेयर (15 प्रतिशत) में ही नहर से सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने का लक्ष्य रखा। हालांकि, विभाग लक्षित क्षेत्र में भी सिंचाई की सुविधा का विस्तार करने में विफल रहा।

- अनाज की उत्पादकता एवं अतिरिक्त उत्पादन में वृद्धि का अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हुआ। किसानों को प्रमाणित बीजों की कम/देरी से आपूर्ति तथा अपर्याप्त मृदा परीक्षण के प्रकरण लेखापरीक्षा में पाये गये।
- कुलाबों से खेतों तक जल ले जाने के लिए नहरों का कमाण्ड क्षेत्र विकसित नहीं किया गया था।

4-1 cLrkouk

सिंचाई परियोजनाओं के पूर्ण होने तथा उनका संचालन आरम्भ होने के बाद, यह आकलन करना समीचीन होगा कि परियोजनाओं के उद्देश्यों और लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया।

4-2 i fj ; kstukvka dh i wklrk , or | pkyu

बाणसागर नहर परियोजना जुलाई 2018 में संचालित की गई तथा लहचुरा डैम परियोजना और उससे जुड़ी पहाड़ी डैम परियोजना के कार्य क्रमशः मार्च 2015 और मार्च 2018 में पूर्ण हुआ था।

4-2-1 ck.kl kxj ugj i fj ; kstuk /mUkj cns kl ds vi wkl dk; l

जैसा कि प्रस्तर 3.3 में चर्चा की गई है, बाणसागर नहर परियोजना में छ: वृहद् संरचनाओं/कार्यों का निर्माण सम्मिलित था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन छह में से चार संरचनाओं/कार्यों यथा बाणसागर फीडर नहर, अदवा बैराज, अदवा मेजा लिंक नहर और मेजा कोटा फीडर नहर को मई 2018 तक पूर्ण किया गया था। जबकि दो अन्य घटकों यथा मेजा जिरगो लिंक नहर और पुरानी नहरों की पुनर्रचना के कार्यों को परियोजना के चालू होने की तिथि (जुलाई 2018) तक आंशिक रूप से ही पूर्ण किया गया था जैसाकि नीचे rkfydk 4-1 में वर्णित है :

rkfydk 4-1% i fj ; kstuk ds i wkl gkus dh fLFkfr

dk; l dk uke	ek=k	tlykbl 2018 e i wkl gkus dh fLFkfr
बाणसागर पोषक नहर	71.494 कि.मी.	पूर्ण
अदवा बैराज	बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत प्राप्त 46.46 क्यूमेक जल का डायवर्जन	पूर्ण
अदवा-मेजा लिंक नहर	25.60 कि.मी.	पूर्ण
मेजा-जिरगो लिंक नहर	71.13 कि.मी.	आंशिक रूप से पूर्ण
मेजा-कोटा पोषक नहर	3.577 कि.मी.	पूर्ण
नहरों की पुनर्रचना	487 कि.मी. लंबाई में 52 नहरों की पुनर्रचना	468 कि.मी. लंबाई में 44 नहरों की पुनर्रचना का कार्य पूर्ण।

(स्रोत: मुख्य अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना, प्रयागराज)

लेखापरीक्षा में अग्रेतर देखा गया कि बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों में से चार नहर प्रणालियों में मेजा जिरगो लिंक नहर से जल को प्रवाहित किये जाने हेतु लिंक नहर का निर्माण नहीं किया गया। जिसकी चर्चा नीचे की गयी है:

- 75.550 कि.मी. लम्बी मेजा जिरगो लिंक नहर मीरजापुर जिले के मेजा डैम को जिरगो डैम से जोड़ती है। मेजा जिरगो लिंक नहर, जिरगो डैम (मेजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 75.550 पर; 3,909 मिलियन घन फीट) में मिलने के पूर्व, मेजा कोटा फीडर नहर¹ (मेजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 13.10 पर; 3,824 मिलियन घन फीट), हर्रई नहर प्रणाली (मेजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 36.480 पर; 261 मिलियन घन फीट), लोअर खजुरी प्रणाली (मेजा जिरगो लिंक नहर के कि.मी. 45.950 पर; 416 मिलियन घन फीट) को जल उपलब्ध कराना था। दो अन्य नहर प्रणालियों यथा गरई और जिरगो द्वारा 55,439 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र की सिंचाई हेतु जिरगो जलाशय से 11,374 मिलियन घन फीट जल ले जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के प्रस्ताव के अनुरूप मेजा जिरगो लिंक नहर कि.मी. 75.550 पर स्थित जिरगो डैम से नहीं जुड़ी थी। लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर संबंधित खंड ने बताया कि मेजा जिरगो लिंक नहर कि.मी. 71.130 पर स्थित बंधवा नाले से जुड़ी थी जिसके माध्यम से जल जिरगो डैम में पहुंच रहा था। यद्यपि, खंड द्वारा न तो उन परिस्थितियों के बारे में बताया जिनके कारण जिरगो जलाशय में सीधे जल ले जाने के लिए 75.550 कि.मी. तक मेजा जिरगो लिंक नहर का निर्माण नहीं हुआ और न ही बंधवा नाले में जल छोड़ने के समर्थन में कोई अभिलेख उपलब्ध कराया गया। नीचे दिया गया छायाचित्र, डीपीआर में परिकल्पित 75.550 कि.मी. लम्बाई तक मेजा जिरगो लिंक नहर के निर्माण के स्थान पर केवल 71.130 कि.मी. तक निर्मित होने की स्थिति को प्रदर्शित करता है:



राज्य सरकार द्वारा उत्तर में बताया गया (जुलाई 2022) कि मेजा जिरगो लिंक नहर, जिसकी लंबाई 71.150 कि.मी. है, बंधवा नाले से जुड़ी हुई थी जो जल को जिरगो डैम तक ले जाता है। शासन द्वारा आगे कहा गया कि मेजा कोटा फीडर नहर, हर्रई नहर प्रणाली और लोअर खजुरी प्रणाली के हेड रेगुलेटर का काम पूर्ण हो गया था और इन नहरों का संचालन जुलाई 2021 से प्रारम्भ कर दिया गया था।

¹ मेजा कोटा पोषक नहर द्वारा बरौंधा रखवाहा नहर को जल उपलब्ध कराना था।

तथ्य यथावत रहा कि मेजा जिरगो लिंक नहर जिरगो डैम से नहीं जुड़ी थी। इसके अतिरिक्त, मेजा जिरगो लिंक नहर से बंधवा नाले के माध्यम से जिरगो डैम में जल के संवर्धन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

- हर्रई नहर प्रणाली (पीपीए²: 4,616 हेक्टेयर) को 15 क्यूसेक अतिरिक्त जल मेजा जिरगो लिंक नहर से प्रदान किया जाना था। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मेजा जिरगो लिंक नहर से हर्रई नहर प्रणाली को जल प्रदान करने हेतु लिंक नहर नहीं बनाया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर संबंधित खंड ने बताया कि एक प्राकृतिक नाले के माध्यम से मेजा जिरगो लिंक नहर से हर्रई नहर प्रणाली को जल प्रदान किया गया। यद्यपि, खंड द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया। अग्रेतर, सिरसी बांध खंड, मीरजापुर जिसके नियंत्रण में हर्रई नहर प्रणाली संचालित की जा रही थी, इस सम्बन्ध में सूचित किया कि वर्ष 2014–21 की अवधि में मेजा जिरगो लिंक नहर से कोई अतिरिक्त जल प्राप्त नहीं हुआ था। अतः हर्रई नहर प्रणाली को बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ था।

मेजा जिरगो लिंक नहर से हर्रई नहर प्रणाली में जल को प्रवाहित करने के लिये लिंक नहर की अनुपलब्धता को नीचे दिए गए छायाचित्र में दर्शाया गया है :



राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर में बताया गया (जुलाई 2022) कि हर्रई नहर को जल की आपूर्ति करने के लिए सम्पर्क नहर का निर्माण कार्य वर्ष 2018 तक पूरा हो गया था और नहर चालू हो गयी थी। शासन के उत्तर के साथ संलग्न ठेकेदार का बिल, हर्रई नहर पर हेड रेगुलेटर के निर्माण से संबंधित था जिसमें लिंक नहर का निर्माण शामिल नहीं था। इसके अतिरिक्त, हर्रई नहर में अतिरिक्त जल निर्गत करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई डेटा भी प्रदान नहीं किया गया। इसलिए, लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि हर्रई नहर वास्तव में मेजा जिरगो लिंक नहर से जल प्राप्त कर रही थी।

² पीपीए: प्रोपोज्ड प्रोटोकोड एरिया।

- मीरजापुर जनपद के 8,016 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु खजुरी नदी से लोअर खजुरी नहर प्रणाली निकलती है। बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत 416 मिलियन घन फीट अतिरिक्त जल को खजुरी नदी में ले जाने के लिए मेजा जिरगो लिंक नहर के किमी 45.950 पर हेड रेगुलेटर का निर्माण किया गया था। यद्यपि, लेखापरीक्षा को हेड रेगुलेटर और नदी के बीच जल ले जाने हेतु चैनल के निर्माण के संबंध में खंड के अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं मिला। मार्च 2021 में किए गए संयुक्त स्थल निरीक्षण के समय यह पुष्टि हुई कि हेड रेगुलेटर को किसी लिंक चैनल के माध्यम से नदी से नहीं जोड़ा गया था जैसाकि नीचे छायाचित्र में दर्शया गया है :



हेड रेगुलेटर को नदी से जोड़े बिना, मेजा जिरगो लिंक नहर से नदी में जल को प्रवाहित करना संभव नहीं था। संयुक्त स्थल निरीक्षण के समय उपस्थित किसानों द्वारा भी पुष्टि की गयी कि कोई लिंक चैनल नहीं बनायी गयी थी।

बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत सिंचाई सघनता के सृजन हेतु कुल लक्षित 1.50 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में मेजा जिरगो लिंक नहर के कमाण्ड का 55,385 हेक्टेयर क्षेत्रफल भी सम्मिलित था। इसमें से, चार नहर प्रणालियों³ के माध्यम से 30,411 हेक्टेयर क्षेत्रफल (55 प्रतिशत) में सिंचाई सघनता, बाणसागर नहर परियोजना के चालू होने तथा इस पर ₹ 3,419.37 करोड़ रुपये व्यय होने के बाद भी सृजित नहीं हुई।

राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर में बताया गया (जुलाई 2022) कि लोअर खजुरी डैम में जल छोड़ने के लिए लिंक नहर का निर्माण जून 2021 में किया गया था। यद्यपि शासन ने नवनिर्मित लिंक नहर के माध्यम से लोअर खजूरी डैम में बाणसागर नहर परियोजना से जल छोड़े जाने के संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं कराया।

³ हर्रई नहर प्रणाली: 1728 हेक्टेयर; लोअर खजुरी नहर प्रणाली: 2572 हेक्टेयर; गरई नहर प्रणाली: 12301 हेक्टेयर तथा जिरगो नहर प्रणाली: 13810 हेक्टेयर।

4-3 i fj; kstuk ds cfrQy

दोनों परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में परियोजना—वार अपेक्षित प्राप्तियों का विवरण rkfydk 4-2 में दिया गया है।

rkfydk 4-2% ck.kl kxj ugj i fj; kstuk v{kj ygpjk M& i fj; kstuk ei fuèkffj r y{:;

ck.kl kxj ugj i fj; kstuk	ygpjk M& i fj; kstuk		
y{:	mi yfcek; ka		
<i>vis{kr ckflr; ka % ugj c. kkyh ei ty dh mi ycekkr eis of)</i>			
बाणसागर डैम से 34,008 ⁴ मिलियन घन फीट जल लाकर मौजूदा नौ नहर प्रणालियों में 22,495 मिलियन घन फीट अतिरिक्त जल प्रदान किया जाना था।	वर्ष 2017–21 के मध्य मात्र पांच से नौ प्रतिशत तक जल प्राप्त हुआ था।		
<i>vis{kr ckflr; ka % fl pkbz dh / ?urk dk / tu</i>			
कुल 3.47 लाख हेक्टेयर सिंचाई की सघनता के सुजन हेतु 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई सघनता सृजित की जानी थी जिसमें रबी में 0.89 लाख हेक्टेयर और खरीफ में 0.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल समिलित था (बाणसागर नहर परियोजना चालू होने से पूर्व रबीरु 1.03 लाख हेक्टेयर और खरीफ 0.94 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष बाणसागर नहर परियोजना के चालू होने के बाद रबीरु 1.92 लाख हेक्टेयर और खरीफरु 1.55 लाख हेक्टेयर)	बाणसागर नहर परियोजना चालू होने के बाद मात्र 2.13 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में ही सिंचाई सघनता प्राप्त हुई (रबीरु 1.08 लाख हेक्टेयर और खरीफरु 1.05 लाख हेक्टेयर)।	रबी फसल में 31910 सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त खरीफ में 14575 हेक्टेयर क्षेत्रफल में अतिरिक्त सिंचाई सघनता सृजित की जानी थी।	रबी में 13692 हेक्टेयर से लेकर 30923 हेक्टेयर तक (43 से 97 प्रतिशत तथा खरीफ में 455 से लेकर 2153 हेक्टेयर तक (तीन से 15 प्रतिशत तक) सिंचाई सघनता सृजित की जानी प्राप्त की गयी खरीफ—2016–17 में कोई सिंचाई नहीं की गई।
<i>vis{kr ckflr; ka % QI y i)fr ei ifjoru</i>			
फसल क्षेत्र को रबी में 83 प्रतिशत तक और खरीफ में 67 प्रतिशत तक बढ़ाया जाना था, जबकि मौजूदा फसल क्षेत्र क्रमशः 44 प्रतिशत और 41 प्रतिशत था।	रबी और खरीफ में फसल क्षेत्र को क्रमशः 46 प्रतिशत और 45 प्रतिशत तक ही बढ़ाया गया था।	परियोजना में 0.15 लाख हेक्टेयर में धान की खेती किये जाने के संबंध में परिकल्पना की गई थी जिसे पहले नहीं बोया गया था।	खरीफ मौसम के दौरान धान की खेती किये जाने के संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।
इसके अलावा, बाणसागर नहर परियोजना के पूर्ण होने के बाद तिलहन और मटर की खेती के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ 17,150 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जी एक अतिरिक्त फसल के रूप में प्रस्तावित किया गया था, जैसा कि आगे तालिका 4.3 में विस्तार से बताया गया है।	तिलहन, मटर और सब्जियों के फसल के क्षेत्रफल के संबंध में आँकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये		

(स्रोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

⁴ नहर मार्ग में होने वाले नुकसान और वाष्पीकरण के नुकसान के अतिरिक्त पेयजल हेतु उपयोग (200 मिलियन घन फीट) के कारण अन्तर (34,008 मिलियन घन फीट – 22,495 मिलियन घन फीट) था।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बुआई क्षेत्र में परिवर्तन, रबी और खरीफ की विभिन्न फसलों की उत्पादकता में सुधार तथा अनाज के अतिरिक्त उत्पादन को भी इन सिंचाई परियोजनाओं को प्रारंभ करने के पश्चात प्राप्त करने हेतु लक्षित किया गया था जैसाकि rkfydk 4-3 में वर्णित है।

rkfydk 4-3% cpkbz {ks=] mRi kndrk vkg mRi knu ds vupekfur y{;

i fj ; kst uk dk uke	QI y dk uke	cpkbz dk {ks=Qy kgDV\$ j%		mRi kndrk %dlyry çfr gDV\$ j%		mRi knu %dlyry%	
		i fj ; kst uk l s i gys	i fj ; kst uk ds ckn	i fj ; kst uk l s i gys	i fj ; kst uk ds ckn	i fj ; kst uk l s i gys	i fj ; kst uk ds ckn
रबी							
गेहूं	21573	21573	15	40	323595	862920	
चना	13999	13999	09	18	125991	251982	
तिलहन	36594	21581	08	15	292752	323715	
मटर	17150	15013	08	15	137200	225195	
सब्जियाँ	उपलब्ध नहीं	17150	00	250	उपलब्ध नहीं	4287500	
खरीफ							
मक्का	40867	40867	15	23	613005	939941	
दाल	19949	19949	09	16	179541	319184	
रबी							
गेहूं	11557	19146	35	35	404495	670110	
चना	12764	12764	20	20	255280	255280	
खरीफ							
ज्वार	1650	उपलब्ध नहीं	15	उपलब्ध नहीं	24750	उपलब्ध नहीं	
धान	उपलब्ध नहीं	14575	00	40	उपलब्ध नहीं	583000	

(झोत: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन)

अभिलेखों की लेखापरीक्षा में संज्ञान में आया कि सभी मापदंडों में उपलब्धियां कम थीं, जैसाकि आगामी प्रस्तरों में चर्चा की गई है :

4-4 ty dh mi yCekrk ei of)

दोनों चयनित सिंचाई परियोजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य नहर प्रणाली में जल की उपलब्धता को बढ़ाना था जिसे बाणसागर नहर परियोजना में जल की आपूर्ति को बढ़ाकर तथा धसान नहर प्रणाली में जल के उपयोग की दक्षता को बढ़ाकर प्राप्त किया जाना था।

4-4-1 ck.kl kxj ugj i fj ; kst uk %mUkj çns k% e% ty dh mi yCekrk

बाणसागर नहर परियोजना में, मध्य प्रदेश में स्थित बाणसागर बांध से प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 28 मई (240 दिन) के दौरान 141.70 मिलियन घन फीट प्रति दिन⁵ की

⁵ 1,640 क्यूसेक X 24 घंटे (यानि 86400 सेकेंड) = 141.70 मिलियन घन फीट प्रति दिन।

दर से 34,008 मिलियन घन फीट जल प्राप्त किया जाना था। परियोजना में प्राप्त जल को दो डैम यथा अदवा डैम और मेजा डैम में प्रवाहित किया जाना था तत्पश्चात् इन दो बांधों से नौ नहर प्रणालियों को जल उपलब्ध कराया जाना था जिससे इन नहर प्रणालियों में जल की उपलब्धता को बढ़ाया जा सके।

उत्तर प्रदेश के हिस्से के जल (34008 मिलियन घन फीट) को लाने के लिए, बाणसागर परियोजना में बाणसागर डैम, संयुक्त जलवाहिनी, संयुक्त पोषक नहर, बाणसागर पोषक नहर, इत्यादि संरचनाएं बनायी गयीं। यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2017 से 2021 की अवधि में, बाणसागर डैम से मात्र 1,680 से 2,921 मिलियन घन फीट (पांच से नौ प्रतिशत) जल ही प्राप्त हुआ था जैसाकि rkfydk 4-4 में वर्णित है।

rkfydk 4-4% ck.kl kxj M& I s ty dh ckflr

ty dh ek=k fefy; u ?ku QhV e

o"kl	ck.kl kxj M& I s NkM& tkus okys ty dh ek=k	ty dh ek=k ftl ds fy, ekox dh xbz %LrEHk 2 dk çfr' kr%z	ty dh vki frz %LrEHk 2 dk çfr' kr%z	ekox ds I ki \$k deh %LrEHk 3& 4%@ LrEHk 3 dk çfr' kr%z
1	2	3	4	5
2017–18	34008	6791 (20)	2824 (08)	3967 (58)
2018–19	34008	5782 (17)	2921 (09)	2861 (49)
2019–20	34008	उपलब्ध नहीं	1680 (05)	उपलब्ध नहीं
2020–21	34008	16476 (48)	2458 (07)	14018 (85)

(स्रोत: अधीक्षण अभियंता, द्वितीय मंडल, बाणसागर नहर परियोजना, मीरजापुर)

लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने उत्तर प्रदेश के हिस्से के जल अर्थात् 34,008 मिलियन घन फीट की तुलना में वर्ष 2017–21 की अवधि में 5,782 से 16,476 मिलियन घन फीट के बीच जल की कम मांग की। अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने बताया (अगस्त 2021) कि वर्ष 2018–21 के दौरान वर्षा के कारण, नहर प्रणाली में जल की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मांग प्रेषित की गयी।

यद्यपि, अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने उन अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जिनके आधार पर जल की मात्रा की मांग की गणना की गई थी। अग्रेतर, जैसाकि प्रस्तर 4.4.3 में वर्णित है, नहरों से खेत तक जल की आपूर्ति कम थी जो स्पष्ट रूप से जल की अपर्याप्त मांग को इंगित करता है।

अतः अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने निर्धारित हिस्से के अनुसार बाणसागर डैम से जल छोड़े जाने की मांग नहीं की। हालांकि, बाणसागर नहर परियोजना को बाणसागर डैम से जल की कम मांगी गयी मात्रा भी प्राप्त नहीं हो रही थी जबकि बाणसागर परियोजना के अंतर्गत बाणसागर डैम, संयुक्त जलवाहिनी, संयुक्त पोषक नहर के लिए मध्य प्रदेश सरकार को 517.56 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया था। चूंकि बाणसागर डैम से उत्तर प्रदेश के हिस्से का केवल पांच से नौ प्रतिशत

जल ही प्राप्त हुआ था, अतः बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों में जल की उपलब्धता बढ़ाने का उद्देश्य अप्राप्त रहा।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2022) कि बाणसागर डैम से 1,640 क्यूसेक जल प्राप्त किया जाना था जिसके लिए बार-बार मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा, मध्य प्रदेश को बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) के प्राधिकारियों द्वारा तथा प्रमुख अभियंता (परियोजना), लखनऊ द्वारा भी मांग प्रस्तुत की गयी थी। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा अपने दावे के समर्थन में दिए गए साक्ष्य (सितंबर 2022) से ज्ञात हुआ कि अधीक्षण अभियंता, बाणसागर नहर परियोजना ने वर्ष 2021–22 के दौरान मात्र 5,791 मिलियन घन फीट जल छोड़े जाने का अनुरोध किया था। जल की मांग में मात्र 13 दिनों के लिए 1,640 क्यूसेक जल सम्मिलित था तथा वर्ष 2021–22 के शेष दिनों के लिए जल की मांग 200 से 1500 क्यूसेक के बीच थी। अग्रेतर, राज्य सरकार ने वर्ष 2021–22 के दौरान वास्तविक रूप से प्राप्त जल की मात्रा के संबंध में कोई सूचना प्रदान नहीं की।

4-4-2 èkl ku ugj ç.kkyh ei ty dh mi yCekrk

रबी फसल की अवधि में आवश्यकता के सापेक्ष कम जल छोड़े जाने का प्रकरण धसान नहर प्रणाली में पाया गया जैसाकि तालिका 4.5 में वर्णित है।

rkfydk 4-5% ygpjk ckèk l s èkl ku ugj ç.kkyh ei NkMk x; k ty

o"kl	kgDVj e			fefy; u ?ku ehVj e		
	I h-I h-, -	yf{kr {k=Qy	f fpr {k=Qy	f fpr {k=Qy ds I ki sk vi f{kr ty ⁶	okLro e èkl ku ugj ç.kkyh ei NkMk x; s ty dh ek=k	ty dh mi yCekrk ei deh %LrEHk 5&LrEHk 6%@%cfr' kr%
1	2	3	4	5	6	7
2014–15	97169	31910	14652	103	68.37	35 (34)
2015–16	97169	31910	13692	97	42.21	54 (56)
2016–17	97169	31910	28820	203	108.27	95 (47)
2017–18	97169	31910	17509	123	46.58	77 (62)
2018–19	97169	31910	28726	202	64.90	138 (68)
2019.20	97169	31910	30923	218	169.03	49 (22)
2020.21	97169	31910	27004	190	64.20	126 (66)

(झोत: धसान नहर प्रणाली के चयनित खंड)

rkfydk 4-5 से यह स्पष्ट है कि आवश्यकता के अनुसार धसान नहर प्रणाली में जल नहीं छोड़ा गया तथा वर्ष 2014–15 से 2020–21 के मध्य यह कमी 22 से 68 प्रतिशत तक थी। इस प्रकार, वर्ष 2015–21 के दौरान सिंचित सी.सी.ए. को आवश्यकता से कम

⁶ परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रबी फसल के लिए 15 एकड़ क्षेत्रफल के लिए एक मिलियन घन फीट जल के निर्धारित मानक के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा आंकित।

जल प्रदान किया गया। जल की उपरोक्त कमी 31,910 हेक्टेयर के लक्षित क्षेत्रफल के सापेक्ष वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल के लिए थी। लक्षित क्षेत्रफल 31,910 हेक्टेयर के लिए जल की कमी और भी अधिक (25 से 81 प्रतिशत) थी। अधिशासी अभियंता, सपरार खंड, झाँसी ने धसान नहर में जल की कम आपूर्ति के लिए लहचुरा बांध में जल की कम उपलब्धता को कारण बताया।

राज्य सरकार ने उत्तर में बताया (जुलाई 2022) कि लहचुरा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद से केवल वर्ष 2017–18 को छोड़कर, वर्ष 2016–21 के मध्य धसान नहर प्रणाली में रबी फसल के 31,910 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त जल छोड़ा गया था, वर्ष 2017–18 में धसान नदी से जल कम प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने अग्रेतर बताया कि लहचुरा बांध के मूल परियोजना प्रतिवेदन में 31,910 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 5,758 मिलियन घन फीट जल की आवश्यकता दी गई थी जो कि व्यावहारिक नहीं है और इसलिए गलत है।

इस प्रकार राज्य सरकार ने स्वयं अपने विभाग द्वारा तैयार की गई और शासन द्वारा अनुमोदित की गयी लहचुरा बांध परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आगणित जल की आवश्यकता की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया। यद्यपि उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने बाद के संशोधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में रबी और खरीफ मौसम में क्षेत्र के लिए जल की आवश्यकता को संशोधित नहीं किया था।

अग्रेतर, बाणसागर नहर परियोजना की डीपीआर में भी 13 एकड़ प्रति मिलियन घन फीट जल की आवश्यकता का आकलन लहचुरा बांध परियोजना के 15 एकड़ प्रति मिलियन घन फीट के समान ही प्रावधान किया गया था। अतः डीपीआर के अनुमानों का खंडन करने के बजाय, राज्य सरकार को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में दिए गए लक्ष्य के सापेक्ष धसान नहर प्रणाली को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने के उपाय करने चाहिए।

4-4-3 ugjka I s [krk] e ty dh vki fr]

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग के पास प्रत्येक नहर से खेतों में छोड़े गए जल की मात्रा के संबंध में कोई आँकड़ा नहीं था। इस प्रकार, आवश्यकता के सापेक्ष खेतों में छोड़ी गयी जल की वास्तविक मात्रा का पता नहीं लगाया जा सका। अतः लेखापरीक्षा द्वारा, नहरों के संचालन की अवधि के दौरान, 29 नहरों (बाणसागर नहर परियोजना : 23 नहरों तथा धसान नहर प्रणाली : छह नहरों) के संबंध में जल की आपूर्ति⁷ की गणना की गयी। यह देखा गया कि बाणसागर नहर परियोजना में, 18 नहरों में रबी फसलों के दौरान तथा 12 नहरों में खरीफ फसलों के दौरान जल की आपूर्ति कम थी।

⁷ पूर्ण आपूर्ति स्तर पर नहर में जल के प्रवाह को मानते हुए।

इन नहरों के द्वारा, डीपीआर⁸ में निर्धारित 21 इंच⁹ की तुलना में, रबी फसलों में केवल एक से 15 इंच जल तथा खरीफ फसलों में केवल तीन से 16 इंच जल ही $\frac{1}{2} f'f'k''V&4-1 \frac{1}{2}$ प्रवाहित कर सकी थीं। इसी तरह, धसान नहर प्रणाली के नमूना जांच की गई छह नहरों से, रबी फसलों के लिए वांछित 18 इंच¹⁰ जल के सापेक्ष मात्र तीन से 15 इंच जल ही खेतों को प्रदान किया जा सका था $\frac{1}{2} f'f'k''V&4-1 \frac{1}{2}$

अग्रेतर, बाणसागर नहर परियोजना की नमूना जांच की गयी 23 नहरों में से चार से 13 नहरों (17 से 57 प्रतिशत) और धसान नहर प्रणाली में नमूना जांच की गयी छह नहरों में से चार से पांच नहरों (67 से 83 प्रतिशत) के टेल तक जल नहीं पहुँचा $\frac{1}{2} f'f'k''V&4-2\frac{1}{2}$ । यह भी देखा गया कि 44 नहरों, जिन्हें जल के अतिरिक्त प्रवाह को ले जाने के लिए पुनर्रचित किया गया था, उसमें से चार नहरों के टेल तक जल नहीं पहुँचा। इस प्रकार, जैसाकि प्रस्तर 2.2.3 में चर्चा की गई है, 1,851 किमी नहरों में से मात्र 468 किमी नहरों को ही अतिरिक्त जल ले जाने के लिए पुनर्रचित किया गया था तथा इन पुनर्रचित नहरों में भी टेल तक जल न पहुँचने की समस्या आयी। उक्त संख्या में नहरों के टेल तक जल न पहुँचना, स्रोत पर जल की कम उपलब्धता की ओर इंगित करता है, जैसाकि प्रस्तर 4.4.1 और 4.4.2 में चर्चा की गई है।

4-5 ugj k dk de vofek ei | pkyu

अधिकतम उत्पादन के लिए खेत में समय पर जल की आपूर्ति महत्वपूर्ण है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित मानकों के अनुसार, रबी फसलों को पांच महीने की फसल अवधि (11 अक्टूबर से 10 मार्च) के दौरान चरणों में जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार, खरीफ फसलों को चार महीने की फसल अवधि (01 जून से 30 सितंबर) के दौरान चरणों में जल की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों की 413 नहरों¹¹ में से, विभाग द्वारा वर्ष 2014–21 (रबी मौसम) के दौरान केवल 162 से 403 नहरों के संचालन के लिए ही रोस्टर तैयार किया गया और वह भी पूरी फसल अवधि के लिए नहीं था जैसाकि rkfydk 4-6 में वर्णन किया गया।

⁸ बाणसागर नहर परियोजना के डीपीआर में निर्धारित मानक के अनुसार 65,598 मिलियन घन फीट जल की मात्रा 3.47 लाख हेक्टेयर (8.58 लाख एकड़) कुल सिंचाई सघनता के लिए आवश्यक थी। अतः 13 एकड़ के लिए एक मिलियन घन फीट जल की आवश्यकता होगी।

⁹ गेहूँ फसल के लिए जल की आवश्यकता (23 इंच), चना (20 इंच), तिलहन (18 इंच) तथा सब्जियाँ (22 इंच), रबी फसल के लिए औसतन 21 इंच। इसी प्रकार, धान फसल के लिए जल की आवश्यकता (32 इंच), मक्का (आठ इंच) और दलहन (20 इंच), खरीफ फसल के लिए औसतन 21 इंच।

¹⁰ धसान नहर प्रणाली के डीपीआर में 15 एकड़ क्षेत्रफल के लिए एक मिलियन घन फीट जल की मात्रा निर्धारित की गयी है।

¹¹ मुख्य नहर, शाखा नहर, रस्जवाहे एवं अल्पिकाओं सहित।

rkfydळ 4-6% ck.kl kxj ugj i fj; kstuk eळ jch QI y ds nk्य ku
ugj kळ dk de vofek eळ l pkyu

o"kl	ugj kळ dh dly l aळ; k	l pkfyr ugj kळ dh dly l aळ; k	vofek ftl nk्य ku ugj a pyk; h x; h				
			, d ekg	nks ekg	rhu ekg	pkj ekg	i kp ekg
1	2	3	4	5	6	7	8
2014–15	413	403	36	00	129	00	238
2015–16	413	162	00	00	70	00	92
2016–17	413	376	00	10	72	56	238
2017–18	413	403	03	92	37	33	238
2018–19	413	403	00	36	03	126	238
2019–20	413	403	00	00	76	181	146
2020–21	413	403	00	00	76	181	146
; kx	2891	2553	39	138	463	577	1344

(स्रोत: बाणसागर नहर परियोजना के चयनित खंड)

यद्यपि, बाणसागर नहर परियोजना के जुलाई 2018 में चालू होने के बाद नहर संचालन में सुधार हुआ था, फिर भी रबी की पूरी फसल अवधि के दौरान केवल 46 प्रतिशत नहरें¹² ही संचालित की जा सकी थीं तथा शेष नहरों को कुल पांच महीने की फसल अवधि के सापेक्ष केवल एक से चार महीने ही संचालित किया जा सका।

इसी तरह, धसान नहर प्रणाली में, विभाग द्वारा 88 नहरों में से वर्ष 2014–21 (रबी मौसम) अवधि के दौरान 54 से 64 नहरों को संचालित करने की योजना बनाई गयी थी। इसके सापेक्ष किसी भी नहर को दो महीने फसल अवधि से अधिक संचालित नहीं किया जा सका जिसके कारण कमाण्ड क्षेत्र में नहर के जल की आपूर्ति में भारी कमी हुई। वर्ष–वार विवरण rkfydk 4-7 में दिया गया है।

rkfydk 4-7% ekl ku ugj c. kkyh eळ ugj kळ dk de vofek eळ l pkyu

o"kl	ugj kळ dh dly l aळ; k	l pkfyr ugj kळ dh dly l aळ; k	vofek ftl nk्य ku ugj a pyk; h x; h				
			, d ekg	nks ekg	rhu ekg	pkj ekg	i kp ekg
1	2	3	4	5	6	7	8
2014–15	88	58	58	00	00	00	00
2015–16	88	54	32	22	00	00	00
2016–17	88	64	14	50	00	00	00
2017–18	88	54	54	00	00	00	00
2018–19	88	64	14	50	00	00	00
2019–20	88	63	00	63	00	00	00
2020–21	88	63	15	48	00	00	00

(स्रोत: धसान नहर प्रणाली के जाँच किये गए खंड)

¹² स्तम्भ 8 को स्तम्भ 2 से विभाजित किया गया।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कृषि विभाग से परामर्श कर नहरों के संचालन हेतु रोस्टर तैयार किए गए थे। रबी में पांच महीने की फसल अवधि के विरुद्ध केवल पहले दो महीने के दौरान ही नहरों के संचालन के कारण खेतों को नहर से सिंचाई, फसल की परिपक्वता अवधि तक, प्रदान नहीं की गयी थी जिससे कारण फसल खराब हो सकती थी। कृषि विभाग द्वारा किसानों को कम परिपक्वता अवधि वाली फसलों की किस्मों को उगाने की सलाह दी जा सकती थी। यद्यपि, लेखापरीक्षा को कृषि विभाग (जिला कृषि कार्यालयों) के अभिलेखों में, कमाण्ड क्षेत्र में नहरों से जल की उपलब्धता के अनुसार, फसलों की बुवाई के संबंध में किसानों को निर्देश जारी किये जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला।

राज्य सरकार द्वारा बाणसागर नहर परियोजना में कम अवधि के लिए नहरों के संचालन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। धसान नहर प्रणाली के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि धसान नहर प्रणाली की कुल 88 नहरों में से 64 नहरें चल रही थीं और नहरों के टेल तक जल पहुँचाया गया था। शासन द्वारा अग्रेतर कहा गया कि शेष 24 नहरों की पुनर्स्थापना का कार्य 2026 तक यू.पी. डब्ल्यू.एस.आर.पी. परियोजना के अंतर्गत पूर्ण करने का प्रस्ताव था, जिसके पश्चात सभी 88 नहरों का संचालन किया जा सकेगा। शासन ने अग्रेतर बताया कि धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में, रबी मौसम के दौरान औसतन 50 प्रतिशत क्षेत्र में गेहूं बोया जाता है और 50 प्रतिशत क्षेत्र में मटर, चना और अन्य रबी फसलों की बुवाई की जाती है। शासन द्वारा यह कहा गया कि दिशानिर्देशों के अनुसार, गेहूं के लिए अधिकतम चार बार सिंचाई की आवश्यकता होती है और मटर तथा चना जैसी अन्य रबी फसलों के लिए अधिकतम दो बार सिंचाई की आवश्यकता होती है, जो धसान नहर प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा, कम अवधि के लिए नहरों के संचालन के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण मान्य नहीं है, क्योंकि पूरी फसल अवधि (अक्टूबर से मार्च) के दौरान फसल बढ़ने के समय विभिन्न चरणों में जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यद्यपि, नहरों को फसल अवधि के पहले दो महीनों के दौरान ही चलाया गया था, जो इंगित करता है कि खेत तक जल की आपूर्ति फसल की परिपक्वता अवधि तक नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, लहचुरा डैम परियोजना के पूरा होने के बाद भी किसानों की रबी की फसलों के लिए जल की आवश्यकता को नहर प्रणाली के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सका था।

4-6 fl pkbz | ?kurk ei of)

4-6-1 ck.kl kxj ugj i fj ; kst uk /mÙkj çns khl ei fl pkbz ds y{; k dh çkfir


प्रयागराज और मीरजापुर जनपदों में, बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों के अंतर्गत 1,97,222 हेक्टेयर (रबी: 1,03,196 हेक्टेयर ; खरीफ: 94,026 हेक्टेयर) की मौजूदा सिंचाई सघनता के अतिरिक्त 1,50,132 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई सघनता (रबी: 89,316 हेक्टेयर; खरीफ: 60,816 हेक्टेयर) सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था।

इस प्रकार, बाणसागर नहर परियोजना के आरंभ होने के बाद 2,32,441 हेक्टेयर सीसीए में 3,47,354 हेक्टेयर सिंचाई संघनता (रबी: 1,92,512 हेक्टेयर ; खरीफ़: 1,54,842 हेक्टेयर) प्राप्त की जानी थी।

लेखापरीक्षा में, यद्यपि, पाया गया कि परियोजना के पूर्व की अवधि के सापेक्ष परियोजना के बाद की अवधि में भी सिंचाई की संघनता लगभग समान रही, जैसा कि pkVl 4-1 तथा pkVl 4-2 में दर्शाया गया है।


pkVl 4-1% j ch e॥ fl pkbl dh | ?kurk

(लक्ष्य एवं उपलब्ध हेक्टेयर में)



pkVl 4-2% [kjhQ e॥ cI pkA dh | ?kurk

(लक्ष्य एवं उपलब्ध हेक्टेयर में)



परिणामस्वरूप, बाणसागर नहर परियोजना का संचालन आरम्भ होने के बाद सिंचाई संघनता (रबी: 83 प्रतिशत और खरीफ़: 67 प्रतिशत) में लक्षित वृद्धि प्राप्त नहीं की जा

सकी तथा सिंचाई सघनता के सृजन में रबी में 44 से 45 प्रतिशत तक और खरीफ में 32 से 33 प्रतिशत तक की कमी थी। सिंचाई सघनता के संबंध में इसी तरह की प्रवृत्ति नौ नहर प्रणालियों में देखी गई, जैसाकि *i f/f' k/V&4.3* में दिया गया है।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि बाणसागर नहर परियोजना का कार्य पूर्ण होने के बाद वर्ष 2020–21 में सिंचाई के आच्छादन को रबी में 1.29 लाख हेक्टेयर तथा खरीफ में 1.24 लाख हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि बाणसागर नहर परियोजना की नौ नहर प्रणालियों से सम्बंधित खंडों के अभिलेखों से यह स्पष्ट था कि वर्ष 2020–21 में सिंचाई का आच्छादन रबी में 1.08 लाख हेक्टेयर तथा खरीफ में 1.05 लाख हेक्टेयर था। इस प्रकार, बाणसागर नहर परियोजना के आरम्भ होने के पश्चात रबी हेतु सिंचाई सघनता का लक्ष्य 1.93 लाख हेक्टेयर और खरीफ हेतु सिंचाई सघनता का लक्ष्य 1.55 लाख हेक्टेयर अप्राप्त रहा। जबकि वर्ष 2017–18 से 2020–21 के मध्य सिंचाई सघनता में मामूली वृद्धि (चार प्रतिशत) हुई।

4-6-2 ekl ku ugj c.kkyh e fl pkbz ds y{; k dh ckflr

लहचुरा डैम के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में विभाग ने धसान नहर प्रणाली के कुल कमाण्ड क्षेत्र 97,169 हेक्टेयर में से रबी के अन्तर्गत 31,910 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) और खरीफ के अंतर्गत 14,575 हेक्टेयर (15 प्रतिशत) की नहर से सिंचाई का प्रस्ताव रखा था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 31,910 हेक्टेयर के प्रस्तावित क्षेत्रफल के सापेक्ष वास्तविक सिंचाई रबी फसल में 43 से 97 प्रतिशत तक और खरीफ फसल के दौरान तीन से 15 प्रतिशत के बीच थी। विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है।

rkfydk 4-8% /kl ku ugj c.kkyh ds vr xl j ch vkj [kj hQ e fl pkbz dk
fooj .k

kgDV\$ j e

O"kl	j ch			[kj hQ		
	i hi h,	okLrfod fl pkbz	deh %i fr' kr%	i hi h,	okLrfod fl pkbz	deh %i fr' kr%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2014-15	31910	14652	17258 (54)	शून्य *	2830	लागू नहीं
2015-16	31910	13692	18218 (57)	14575	1556	13019 (89)
2016-17	31910	28820	3090 (10)	14575	00	14575 (100)
2017-18	31910	17509	14401 (45)	14575	455	14120 (97)
2018-19	31910	28726	3184 (10)	14575	856	13719 (94)
2019-20	31910	30923	987 (3)	14575	1348	13227 (91)
2020-21	31910	27004	4906 (15)	14575	2153	12422 (85)

(स्रोत: धसान नहर प्रणाली के नमूना चयनित खंड)

*परियोजना मार्च 2015 में पूर्ण हुई थी, इसलिए लक्षित सीसीए को शून्य लिया गया है।

विभाग 2018–19 के बाद से रबी फसल में नहर से कम सिंचाई की स्थिति में सुधार कर सका। यद्यपि, जैसाकि प्रस्तर 4.5 में चर्चा की गई है, धसान नहर प्रणाली की कोई भी नहर दो महीने की फसल अवधि से अधिक संचालित नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप सिंचित क्षेत्र को आवश्यक मात्रा में जल उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, खरीफ के संबंध में, सिंचाई के लक्ष्य और उपलब्धि के बीच बहुत बड़ा अंतर था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (जुलाई 2022) कि मार्च 2015 में लहचुरा डैम परियोजना के पूर्ण होने के बाद, 2016 के रबी मौसम से धसान नहर प्रणाली को पूरी क्षमता से चलाना संभव हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2016–17, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान रबी मौसम के लक्ष्यों को लगभग प्राप्त कर लिया गया। जबकि वर्ष 2017–18 में धसान नदी में कम अंतर्वाह होने के कारण रबी के प्रस्तावित लक्ष्य को आंशिक रूप से ही प्राप्त किया जा सका। राज्य सरकार ने यह भी उत्तर दिया कि वर्ष 2016–17 से 2020–21 के बीच खरीफ के सिंचित क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी।

तथ्य यथावत था कि खरीफ में नहर से सिंचाई की उपलब्धि नगण्य थी क्योंकि यह लक्षित सीसीए का तीन से 15 प्रतिशत ही थी। अग्रेतर, रबी के संबंध में, अक्टूबर से मार्च तक के पूर्ण फसली मौसम में नहर का संचालन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, धसान नहर प्रणाली के निर्माण के 100 से अधिक वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, लक्षित सीसीए में नहर से सिंचाई की सुविधा को 31,910 हेक्टेयर से अधिक नहीं बढ़ाया जा सका, जिसके चलते 65,259 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किसान नहर से सिंचाई की सुविधा से वंचित रहे। इसलिए, जिन परिस्थितियों के अंतर्गत, पर्याप्त व्यय किये जाने तथा समय बीत जाने के बाद भी नहर प्रणाली के 67 प्रतिशत से अधिक कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं हो सका, उनका पता लगाया जाना चाहिए और जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

4-7 mRi kndrk vkj mRi knu e of)

नहर प्रणाली में जल की आपूर्ति में वृद्धि तथा अतिरिक्त सिंचाई सघनता के सृजन के साथ ही दोनों चयनित परियोजनाओं द्वारा फसलों की उच्च उत्पादकता और अतिरिक्त उत्पादन का भी लक्ष्य रखा गया था। बाणसागर नहर परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में, नौ नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र में, अनाज की उत्पादकता¹³ को बढ़ाकर 11.32 लाख कुन्तल अतिरिक्त अनाज¹⁴ के उत्पादन की परिकल्पना की गई थी। धसान नहर प्रणाली में, लहचुरा और पहाड़ी डैम के आधुनिकीकरण के बाद, 8.24 लाख कुन्तल अनाज¹⁵ का अतिरिक्त उत्पादन परिकल्पित था।

¹³ गेहूँ: 15 कुन्तल/हेक्टेयर से 40 कुन्तल/हेक्टेयर; चना: 9 कुन्तल/हेक्टेयर से 18 कुन्तल/हेक्टेयर; मक्का: 15 कुन्तल/हेक्टेयर से 23 कुन्तल/हेक्टेयर तथा दलहन: 9 कुन्तल/हेक्टेयर से 16 कुन्तल/हेक्टेयर।

¹⁴ गेहूँ: 5.39 लाख कुन्तल; चना: 1.26 लाख कुन्तल; मक्का: 3.27 लाख कुन्तल तथा दलहन: 1.40 लाख कुन्तल। इसके अलावा बाणसागर नहर परियोजना में 17,150 हेक्टेयर में सब्जियों के फसल प्रस्तावित थे।

¹⁵ गेहूँ: 2.66 लाख कुन्तल तथा धान: 5.83 लाख कुन्तल; इसके अलावा परियोजना से पूर्व के ज्वार के उत्पादन (0.25 लाख कुन्तल) को परियोजना के बाद के लक्ष्य से बाहर रखा गया।

यद्यपि, बार—बार अनुरोध के बाद भी कृषि विभाग द्वारा बाणसागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये। तथापि, निदेशक कृषि (सांख्यिकी), कृषि विभाग ने बाणसागर नहर परियोजना के 90 चयनित गांवों में से 79 तथा धसान नहर प्रणाली के 29 चयनित गांवों में से 19 के संबंध में उत्पादन और उत्पादकता के सीमित आंकड़े ही उपलब्ध कराये। लेखापरीक्षा द्वारा, उत्पादन और उत्पादकता के लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि का पता लगाने के लिए, उत्पादन और उत्पादकता के इन आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

अग्रेतर, अन्य कृषि आदानों जैसे गुणवत्तापरक बीज, मृदा परीक्षण, उर्वरक, कृषि प्रत्यारोपण, किसानों को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन आदि की समय पर और पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता, कृषि उत्पादकता और उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में से हैं। इसे देखते हुए लेखा परीक्षा द्वारा अभिलेखों की नमूना जांच में किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति की स्थिति और विभाग द्वारा किसानों के खेत में मिटटी के परीक्षण का भी विश्लेषण किया गया है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती प्रस्तरों में चर्चा की गई है:

4-7-1 çekf.kr chtk dk forj .k

स्थायी टिकाऊ कृषि के लिए बीज एक बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि किसानों को गुणवत्तापरक बीज सस्ती कीमतों पर उपलब्ध करायी जाये। किसानों को बीज का वितरण ब्लाक स्तर पर विभागीय दुकानों, बीज निगमों की दुकानों, सहकारी समितियों और निजी विक्रेताओं के माध्यम से किया जाता है। विभागीय दुकानों से बीज का वितरण रियायती दरों पर किया जाता है।

4-7-1-1 fd/ kuku dks çekf.kr chtk dh / hfer@foyfcr vki fr/

लेखापरीक्षा में देखा गया कि बाण सागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के चार जनपदों में स्थित कमाण्ड क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु शासकीय बीज भण्डार से प्रमाणित बीजों की आपूर्ति नगण्य थी, जो बोये जाने वाले क्षेत्रफल के लिए बीज की कुल आवश्यकता के सापेक्ष, बाणसागर नहर परियोजना (मीरजापुर और प्रयागराज जनपद) में चार से 12 प्रतिशत और धसान नहर प्रणाली (हमीरपुर और महोबा जनपद) में एक से सात प्रतिशत तक थी जैसाकि $f/f'k''V&4-4 V$ में वर्णित है। इसके अतिरिक्त, नमूना जांच किए गए गांवों में बीजों की आपूर्ति भी असंतोषजनक थी, जो इन चयनित गांवों के कमाण्ड क्षेत्र के लिए बीज की आंकित आवश्यकता की तुलना में बाणसागर नहर परियोजना के गावों के लिए एक से सात प्रतिशत और धसान नहर प्रणाली के गावों के लिए दो से 17 प्रतिशत तक थी $V/f/f'k''V&4-4 C$ ।

कृषि विभाग द्वारा बीज भण्डारों को बीज की आपूर्ति के लिए समय—सीमा निर्धारित की गयी थी ताकि बुवाई की अवधि से पहले ही किसानों को यह उपलब्ध करायी जा सके। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार जनपदों के केंद्रीय भंडारों को बीज की

आपूर्ति 97 दिनों तक की देरी से की गई थी $\frac{1}{2} f/f'k"V&45 V\frac{1}{2}$ । इसके कारण ब्लाक स्तर के भंडारों पर, जहां से किसानों को बीज की आपूर्ति की जानी थी, बीज प्राप्त करने में और देरी हुई (बुवाई अवधि के पश्चात 250 दिनों तक) $\frac{1}{2} f/f'k"V&45 c\frac{1}{2}$ ।

लेखापरीक्षा ने निजी विक्रेताओं से बीजों की बिक्री के आंकड़े भी एकत्र किए और देखा कि निजी विक्रेताओं¹⁶ से बीजों का वितरण बाणसागर नहर परियोजना में 30 प्रतिशत से 85 प्रतिशत और धान नहर प्रणाली में 17 प्रतिशत से 41 प्रतिशत के बीच थी जैसाकि परिशिष्ट-4.4 अ में वर्णित है। अग्रेतर, 2014–21 के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकारी भण्डार पर आपूर्ति किए गए संपूर्ण बीज वितरित कर दिए गए थे। इस प्रकार, रियायती बीजों की सरकारी भण्डार से कम उपलब्धता के साथ–साथ देरी से उपलब्धता के कारण किसानों के पास, निर्धारित बुवाई अवधि को ध्यान में रखते हुए, महंगी दरों पर निजी विक्रेताओं से बीज खरीदने का एकमात्र विकल्प ही बचा था।

4-7-1-2 vup{kfl r fdLek ds vykok vll; chtk dk forj . k

उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग द्वारा अधिकतम उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों के लिए विशिष्ट किस्मों के बीजों की अनुसंशा की गयी थी। गेहूं के संबंध में बुंदेलखण्ड क्षेत्र के जनपदों, प्रयागराज और मीरजापुर जनपदों के लिए क्रमशः 28, 30 और 30 किस्मों के बीजों की अनुसंशा की गयी थी। इसी प्रकार से धान के संबंध में बुंदेलखण्ड क्षेत्र, प्रयागराज और मीरजापुर जनपदों के लिए क्रमशः 17, 24 और 25 किस्मों के बीजों की अनुसंशा की गई थी, विवरण $f/f'k"V&4-6$ में दिया गया है।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि चार जनपदों में, जिनमें दोनों चयनित सिंचाई परियोजनाएं अवस्थित हैं, गेहूं के मामले में सरकारी बीज भंडारों से अनुशंसित किस्मों के बीजों का वितरण केवल तीन से सात प्रतिशत के बीच था। धान के मामले में, अनुशंसित किस्म के बीजों के अलावा अन्य किस्म के बीज का वितरण 21 से 100 प्रतिशत के बीच था। जनपदवार विवरण rkfydk 4.9 में दिया गया है।

Rkfydk 4-9 % xj &vup{kfl r fdLek ds chtk dk forj . k

vidhy e

tui n dk uke	QI y	vofek 2014&21	
		forfjr cht dh dy ek=k	vll; fdLek ds chtk ds forj . k dh ek=k \cfr' kr\
ck.kl kxj ugj i fj ; ktuk mUkj cnk			
प्रयागराज	गेहूं	92588	87225(94)
	धान	21678	4478(21)
मीरजापुर	गेहूं	40835	39541(97)
	धान	6574	3176(48)

¹⁶ सहकारी, यूपी एग्रो, बीज विकास निगम, कृषको, आदि सहित।

tui n dk uke	QI y	vofek 2014&21	
		forfj r cht dh dly ek=k	vU; fdLek ds chtk ds forj .k dh ek=k %çfr' kr%
èkl ku ugy ç.kkyh			
हमीरपुर	गेहू	25252	23663(94)
	धान	68	63(93)
महोबा	गेहू	12322	11509(93)
	धान	17	17(100)

(झोत: नमूना जांच किए गए जनपदों के उप कृषि निदेशक)

अतः इन चारों जनपदों के किसान गेहूँ और धान के उपयुक्त किस्म के बीजों के वितरण से वंचित रहे।

राज्य सरकार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4-7-2 enk ijh{k.k

मिटटी के पोषक स्तर और पीएच के स्तर की जांच सहित मिटटी के रासायनिक गुणों को निर्धारित करने के लिए मृदा परीक्षण का उपयोग किया जाता है। मृदा परीक्षण के परिणाम के आधार पर किसान, कृषि के लिए मिटटी में सुधार के लिए उचित प्रकार के उर्वरक और उसकी आवश्यक मात्रा का निर्धारण कर सकते हैं। भारत सरकार ने फरवरी 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी शुरू की, जिसके अंतर्गत किसान के खेतों के मृदा स्वास्थ्य का मूल्यांकन समय-समय पर किया जाना था जो तीन साल में कम से कम एक बार होना था। जनपदों और गांवों का चयन इस तरह किया जाना था कि हर तीन साल में प्रत्येक गांवों को आच्छादित किया जा सके। मृदा परीक्षण करने के बाद, किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड निर्गत किए जाने थे जिसमें अलग-अलग खेतों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों और उर्वरकों की अनुशंसा की जानी थी।

मृदा परीक्षण में पाई गई कमियों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है:

4-7-2-1 xke Lrj ij enk ijh{k.k c; kx'kkyk, aLFkkfi r u gkuk

मृदा परीक्षण में देरी को कम करने और किसानों के द्वार तक मिटटी परीक्षण की सुविधा पहुंचाने के लिए भारत सरकार की मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना की जानी थी।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि बाणसागर नहर परियोजना तथा धसान नहर प्रणाली को आच्छादित करने वाले चार जनपदों में से किसी में भी ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित नहीं की गई थीं।

4-7-2-2 vi; klr enk ijh{k.k

लेखापरीक्षा ने बाणसागर नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत 90 चयनित गांवों और धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र के अंतर्गत 29 चयनित गांवों में किए गए मृदा

परीक्षण से संबंधित अभिलेखों की जांच की। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2015–21 के दौरान, बाणसागर नहर परियोजना के गांवों में से पांच गांवों (छह प्रतिशत) में एक बार भी मृदा स्वास्थ्य परीक्षण नहीं किया गया था तथा 79 गांवों (88 प्रतिशत) में केवल एक बार मृदा परीक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा नहरों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान 383 किसानों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जिसमें 36 किसानों ने कहा कि उनके खेतों में मृदा परीक्षण किया गया था। इन 36 किसानों में से 27 किसानों ने कहा कि उन्हें मृदा परीक्षण के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किए गए।

धसान नहर प्रणाली में, नमूना जांच किए गए 29 गांवों में से, 2014–21 के दौरान, तीन गांवों में मृदा परीक्षण नहीं किया गया था और महोबा जिले के एक गांव में केवल एक बार मृदा परीक्षण किया गया था। लेखापरीक्षा ने 128 किसानों की प्रतिक्रिया भी प्राप्त की जिसमें 19 किसानों ने कहा कि उनके खेतों में मृदा परीक्षण किया गया था लेकिन इन 19 में से 12 किसानों ने कहा कि उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया था।

अग्रेतर, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, 6.5 से अधिक पीएच मान वाली मिटटी के लिए बोरान के पैमाने पर मिटटी का विश्लेषण आवश्यक था। 6.5 से अधिक पीएच वाली मिटटी में बोरान की कमी फसलों की उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव डालता है। लेखापरीक्षा ने प्रयागराज, मीरजापुर, महोबा और हमीरपुर के 101 गांवों, जहां मृदा परीक्षण किया गया था और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया गया था, के सभी 39,429 लाभार्थियों के मृदा स्वास्थ्य कार्डों की नमूना जांच की। यह देखा गया कि हमीरपुर, महोबा और मीरजापुर के 50 नमूना जांच किए गए गांवों में मृदा का पीएच मान 6.5 की निर्धारित सीमा से अधिक था, जिसके कारण इन गांवों में बोरान परीक्षण की आवश्यकता थी। तथापि, हमीरपुर (2019–21 के दौरान), महोबा (2015–17 के दौरान) और मीरजापुर (2015–21 के दौरान) में बोरान परीक्षण नहीं किया गया था।

इस प्रकार, मृदा के स्वास्थ्य को निर्धारित करने के लिए मृदा परीक्षण कार्य को तेज किया जाना था। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त मृदा परीक्षण के कारण, इससे होने वाले लाभों में से एक लाभ, खेती में उचित रासायनिक उर्वरक का उपयोग एवं समय पर इसकी सलाह, को प्राप्त नहीं किया जा सका।

4-8 mRi kndrk

लेखापरीक्षा ने देखा कि बाणसागर नहर परियोजना में चयनित गावों में गेहूं की 40 कुन्तल प्रति हेक्टेयर (बाणसागर परियोजना के पूर्व 15 कुन्तल प्रति हेक्टेयर) उत्पादकता के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2015–21 के दौरान उपलब्धि 5.49 से 46.30 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के बीच रही। चने के मामले में 18 कुन्तल प्रति हेक्टेयर (बाणसागर परियोजना के पूर्व 9 कुन्तल प्रति हेक्टेयर) उत्पादकता के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2015–21 के दौरान उपलब्धि 2.44 से 18.69 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के बीच रही। विवरण rkfydk 4-10 में दिया गया है।

rkfydk 4-10% ck.kl kxj ugj i fj; kstuk es xg vky pus dh mRi kndrk dk fooj . k

o"kl	xg dh mRi kndrk %dlyy cfr gDV\$ j%					puk dh mRi kndrk %dlyy cfr gDV\$ j%			
	y{;	p; fur xkoks dh a[; k	çkIr mRi kndrk	mi yfc/k dh çfr'krrk	y{;	p; fur xkoks dh a[; k	çkIr mRi kndrk	mi yfc/k dh çfr'krrk	
ck.kl kxj ugj i fj; kstuk ds i nol									
2015–16	15	79	5.49 से 29.25		37 से 195	9	15	2.44 से 7.65	
2016–17	15	79	11.93 से 35.69		80 से 238	9	15	5.44 से 13.48	
2017–18	15	79	11.84 से 40.90		79 से 273	9	15	4.87 से 17.14	
ck.kl kxj ugj i fj; kstuk ds i 'pk									
2018–19	40	79	18.90 से 46.30		47 से 116	18	15	9.60 से 14.60	
2019–20	40	79	5.66 से 38.10		14 से 95	18	15	5.95 से 18.69	
2020–21	40	48	15.18 से 40.01		38 से 100	18	14	10.36 से 13.82	

(स्रोत: निदेशक, कृषि विभाग से एकत्रित किए गए आंकड़े)

इस सम्बन्ध में आगे देखा गया कि जिन 79 गांवों¹⁷ के आंकड़ों का लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषण किया गया उनमें गेहूं की उत्पादकता का लक्ष्य (40 कुन्तल प्रति हेक्टेयर), 2017–18 में केवल दो नमूना जांच किए गए गांवों में (तीन प्रतिशत), 2018–19 में आठ गांवों में (दस प्रतिशत) तथा 2020–21 में एक गांव में (दो प्रतिशत) प्राप्त किया गया था। केवल एक गांव द्वारा वर्ष 2019–20 में उत्पादकता का प्रस्तावित लक्ष्य प्राप्त किया जा सका।

इसी प्रकार से, धसान नहर प्रणाली में वर्ष 2015–21 के दौरान गेहूं उत्पादन के लिए 35 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धि 5.80 से 46.59 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के बीच रही। विवरण rkfydk 4-11 में दिया गया।

rkfydk 4-11 èkl ku ugj ç.kkyh es xg vky pus dh mRi kndrk dk fooj . k

o"kl	xg dh mRi kndrk %dlyy cfr gDV\$ j%					puk dh mRi kndrk %dlyy cfr gDV\$ j%			
	y{;	p; fur xkoks dh a[; k	çkIr mRi kndrk	mi yfc/k dh çfr'krrk	y{;	p; fur xkoks dh a[; k	çkIr mRi kndrk	mi yfc/k dh çfr'krrk	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2015–16	35	19	5.80 से 25.44	17 से 73	20	16	0.31 से 7.93	2 से 40	
2016–17	35	19	21.07 से 41.83	60 से 120	20	16	8.26 से 13.93	41 से 70	
2017–18	35	19	19.05 से 46.59	54 से 133	20	16	5.03 से 19.20	25 से 96	
2018–19	35	19	15.30 से 41.10	44 से 118	20	16	5.07 से 16.31	25 से 82	
2019–20	35	19	26.14 से 44.10	75 से 126	20	16	5.98 से 18.97	30 से 95	
2020–21	35	09	29.91 से 44.60	85 से 127	20	15	8.44 से 15.18	42 से 76	

(स्रोत: निदेशक, कृषि विभाग से एकत्रित किए गए आंकड़े)

¹⁷ 2020–21 में, गेहूं के संबंध में 48 गांवों और चना के संबंध में 14 गांवों का आंकड़ा उपलब्ध था।

आगे यह भी देखा गया कि 2015–21 की अवधि में गेहूं की छह फसलों में से उत्पादकता का लक्ष्य, वर्ष 2016–17 में केवल आठ नमूना जांच किए गए गांवों में (42 प्रतिशत), वर्ष 2017–18 में दस नमूना जांच किए गए गांवों में (53 प्रतिशत), वर्ष 2018–19 में ग्यारह नमूना जांच किए गए गांवों में (58 प्रतिशत), वर्ष 2019–20 में पंद्रह नमूना जांच किए गए गांव में (79 प्रतिशत) और वर्ष 2020–21 में चार नमूना जांच किए गए गांव (44 प्रतिशत) में प्राप्त किया गया था। चने के संबंध में, 20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर के प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष 2015–21 के दौरान चना का उत्पादन केवल 0.31 से 19.20 कुन्तल प्रति हेक्टेयर था। इसके अलावा, वर्ष 2019–20 के दौरान केवल दो नमूना जांच किए गए गांवों में धान की फसल रोपित की गई थी। विवरण /f/f/k/V&4-7 V kf c में दिया गया है।

4-9 mRi knu

बाणसागर नहर परियोजना में गेहूं (25 गांवों) और चना (नौ गांवों) के संबंध में उत्पादन¹⁸ के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 21 गांवों में, वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2020–21 में गेहूं का उत्पादन चार से 55 प्रतिशत तक कम हो गया था, जबकि, चार गांवों में गेहूं के उत्पादन में पांच से 43 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई थी। इसी प्रकार, नमूना जांच किए गए सभी नौ गांवों में वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2020–21 में चने का उत्पादन दो से 50 प्रतिशत तक कम हो गया था। अन्य फसलों जैसे मटर, तिलहन, सब्जी, मक्का और अरहर के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। धसान नहर प्रणाली में नमूना जांच किये गये गांवों में गेहूं एवं चना के उत्पादन में वृद्धि हुई। विवरण /f/f/k/V&4-8 में दिया गया है।

राज्य सरकार द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4-10 dek.M {k= dk fodkl

खेतों में नहर के जल का इष्टतम उपयोग, नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र के विकास पर निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2015 में निर्गत कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कमाण्ड क्षेत्र विकास की गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ पक्की गुलों सहित कृषि विकास कार्यों का सर्वेक्षण, नियोजन, डिजाइन और निष्पादन शामिल है। कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कार्यक्रम को 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-हर खेत को जल के अंतर्गत लागू किया गया है। सिंचाई में जल उपयोग दक्षता को बढ़ावा देने के लिए, कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कार्यक्रम, स्प्रिकलर/ड्रिप/पिवोट्स सिंचाई प्रणालियों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने एवं सूक्ष्म सिंचाई के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सीसीए के कम से कम 10 प्रतिशत को लक्षित करता है।

¹⁸ बाणसागर नहर परियोजना के 92 गांवों में से वर्ष 2018–19 और 2020–21 के लिये उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े केवल 25 गांवों (गेहूं) तथा 09 गांवों (चना) के संबंध में उपलब्ध थे।

उत्तर प्रदेश में ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत, नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार है। हालांकि, ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा बाणसागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के समादेशन में कमाण्ड क्षेत्र विकास का कोई प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया गया और किसान अपने स्वयं के संसाधनों के माध्यम से नहरों से जल ले रहे थे।



इस संबंध में लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बाणसागर नहर परियोजना में ₹ 17.37 करोड़¹⁹ नहर कुलाबा के शीर्ष और अंतिम छोर पर दीवार (₹ 12.64 करोड़) तथा गुल²⁰ (₹ 4.73 करोड़) के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि 2012–18 के दौरान नौ नहर प्रणालियों में से तीन प्रणालियों²¹ की नहरों में 869 कुलाबों का निर्माण किया गया था। 869 में से 639 कुलाबों में, कुलाबों से खेत तक जल ले जाने

के लिए प्रत्येक कुलाबा में केवल 15 मीटर की लंबाई में गुलों का निर्माण किया गया था। जल को खेत तक ले जाने के लिए गुल का आगे और कोई निर्माण नहीं किया गया था। 15 मीटर से आगे गुल का निर्माण नहीं करने के कारण खेत और नहर के कुलाबों के मध्य अपर्याप्त संपर्क था। दोनों नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र को खेतों तक जल ले जाने के लिए विकसित नहीं किया गया था।

ç/ku eJ=h कृ॒॥ f/ pkbl ; kst uk ds vrxt̄ dek. M {k= dk fodkl ॥ij Mi ei^g
Oki ॥

प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत "पर ड्राप मोर क्राप" घटक में अन्य बातों के साथ—साथ खेतों में ड्रिप, स्प्रिकलर, पिवोट्स, रेन—गन जैसे कुशल जल परिवहन और सटीक जल उपयोग, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने पर जल को संग्रहीत करने के लिए नहर प्रणाली के अंतिम छोर पर अतिरिक्त भंडारण संरचनाएं, वैज्ञानिक नमी संरक्षण और कृषि संबंधी उपायों को बढ़ावा देने के लिए विस्तार गतिविधियां, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान, जल उपयोग दक्षता के क्षेत्र में सूचना संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग, सटीक सिंचाई प्रौद्योगिकी, खेतों में जल प्रबंधन पर,

¹⁹ कुल व्यय: ₹ 12.78 करोड़।

²⁰ गुल एक सकरी नाली (मिट्टी की और पक्की दोनों) होती है, जिसके द्वारा नहर के कुलाबे से जल लाने और जल को सिंचाई के लिये खेत में वितरित किया जाता है।

²¹ बेलन नहर, टोंस पम्प नहर तथा यमुना पम्प नहर प्रणालियों।

फसल संरेखण, आदि अवयवों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। राज्य में उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस योजना को लागू किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा धसान नहर प्रणाली से सिचित हमीरपुर और महोबा जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों के अभिलेखों में देखा गया कि हमीरपुर और महोबा जनपदों में वर्ष 2016–21²² के दौरान प्रधान मन्त्री कृषि सिंचाई योजना (पर झाप मोर क्राप) के अंतर्गत 15514.28 हेक्टेयर आच्छादित क्षेत्र में किसानों को स्प्रिंकलर सेट के वितरण तथा अन्य विस्तार गतिविधियों पर ₹ 27.66 करोड़²³ का व्यय किया गया था। इसी तरह, मीरजापुर और प्रयागराज जनपदों के जिला उद्यान अधिकारियों ने 2018–21²⁴ के दौरान मीरजापुर और प्रयागराज जनपदों जिनमें बाणसागर नहर परियोजना से सिंचाई सुविधा प्रदान की गयी, के 12076.61 हेक्टेयर आच्छादित क्षेत्र में किसानों को स्प्रिंकलर सेट के वितरण तथा अन्य विस्तार गतिविधियों पर ₹ 39.61 करोड़²⁵ व्यय किया।

ck.kl kxj ugj i fj; kstuk vky ekl ku ugj c. kkyh ds dek. M {k= e{ / i p{ Lkyh; fujh{k. k

लेखापरीक्षा ने बाणसागर नहर परियोजना में चयनित 23 नहरों और धसान नहर प्रणाली में छः नहरों के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ क्षेत्र का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया और देखा कि गुलों का निर्माण खेतों में नहीं किया गया था और जहां भी ये देखे गए वहां गुल खराब स्थिति थी, क्षतिग्रस्त थी तथा गाद और झाड़ियों से भरी हुई थी जैसाकि निम्नलिखित चित्रों में दर्शाया गया है:



f>xgk vfyi dk ij dlykck
%ck.kl kxj ugj i fj; kstuk%

egyh vfyi dk ij >kfM% k{ l s Hkj k i Mk xy
%ck.kl kxj ugj i fj; kstuk%

²² महोबा में वर्ष 2017–21 के दौरान।

²³ हमीरपुर: ₹ 16.40 करोड़ तथा महोबा: ₹ 11.26 करोड़।

²⁴ जिला उद्यान अधिकारी, प्रयागराज द्वारा केवल वर्ष 2019–20 तथा वर्ष 2020–21 की सूचना उपलब्ध करायी गयी।

²⁵ मीरजापुर: ₹ 31.41 करोड़ तथा प्रयागराज: ₹ 8.20 करोड़।



el nijk vfYi dk ij ugha cuk; k x; k xjy
Wkl ku ujgj iz kkyh½

bVfy; k vfYldk i j ugha cuk; k x; k xjy
Wkl ku ujgj iz kkyh½

राज्य सरकार द्वारा उत्तर दिया गया (जुलाई 2022) कि बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत बेलन नहर, टोंस पंप नहर और यमुना पंप नहर प्रणालियों के कमाण्ड क्षेत्र में कुलाबा और गुलों का निर्माण/मरम्मत कार्य किया गया था। धसान नहर प्रणाली के संबंध में शासन ने उत्तर दिया कि धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र को सहभागी सिंचाई प्रबंधन अधिनियम, 2011 के अंतर्गत जल उपभोक्ता संघ समितियां बनाकर तथा कमाण्ड क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ समन्वय करके विकसित किया जाएगा।

बाणसागर नहर परियोजना के संबंध में सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि नहर के जल को खेत स्तर तक ले जाने के लिए गुल 15 मीटर की लम्बाई में ही बनायी गयी थी। इसके अलावा, ग्रेटर शारदा सहायक कमाण्ड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी स्वीकार किया (जनवरी 2020) कि बाणसागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली में कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्य नहीं किया गया था। इस प्रकार, ₹ 4101.87 करोड़ (बाणसागर नहर परियोजना में ₹ 3419.37 करोड़, लहचुरा डैम परियोजना में ₹ 328.30 करोड़ और पहाड़ी डैम परियोजना में ₹ 354.20 करोड़) के निवेश के पश्चात भी अधिकांश उपयोगकर्ता अपने क्षेत्र तक जल ले जाने से वंचित रहे।

4-11 ty mi HkkDrk | ॥४॥ dk xBu u fd; k tkuk

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा कुलाबा, अल्पिका या रजवाहा स्तर पर जल उपभोक्ता संघ गठित किया जाना था जिसका मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन में जल उपयोगकर्ताओं की भागीदारी लाना था और इसके साथ ही यह भी उद्देश्य था कि अपने क्षेत्र में सिंचाई प्रणाली के प्रति जल उपयोगकर्ताओं के बीच स्वामित्व की भावना पैदा किया जा सके। जल उपभोक्ता संघ अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी था:

- जल बजट और मिट्टी की स्थिति के अनुसार फसल योजना तैयार करना;
- जल मांगपत्र तैयार करना और इसे अगले उच्च स्तर पर जल उपभोक्ता संघ या सक्षम नहर अधिकारी को प्रेषित करना;
- मात्रा के आधार पर जल प्राप्त करना और भूमिधारकों को समान और पारदर्शी तरीके से इसकी आपूर्ति करना;
- अनधिकृत सिंचाई और जल की बर्बादी को रोकना;
- अपने संचालन क्षेत्र में कमाण्ड क्षेत्र के विकास से संबंधित योजना, डिजाइन और गतिविधियों को क्रियान्वित करना;
- सहयोग एवं सहभागिता करना तथा जल शुल्क की वसूली करना; तथा
- अपने प्रभार में परिसम्पत्तियों की सूची तैयार करना तथा अनुरक्षण गतिविधियां करना।

अभिलेखों की जाँच से यद्यपि प्रकाश में आया कि बाण सागर नहर परियोजना और धसान नहर प्रणाली के कमाण्ड क्षेत्र में जल उपभोक्ता संघों का गठन नहीं किया गया था जिसके कारण नहर प्रणाली का कुशल संचालन से प्रभावित रहा।

Lkjj k d e॥ यह कहा जा सकता है कि नहर प्रणालियों में लक्ष्य के सापेक्ष जल की उपलब्धता बहुत कम थी, जिसके कारण दोनों परियोजनाओं में नहरों का संचालन प्रभावित हुआ और कमाण्ड क्षेत्र में जलापूर्ति वांछित स्तर तक नहीं की गयी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के द्वारा कृषकों को खेत तक जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कमाण्ड क्षेत्र विकास का कार्य नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह भी प्रकाश में आया कि बीज वितरण में कमी थी, अनुशंसित किस्म से अलग किस्म के बीजों का वितरण किया गया था और कृषकों को उचित उपाय सुझाने हेतु मृदा परीक्षण अपर्याप्त था। परिणामस्वरूप दोनों परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद भी फसलों की उत्पादकता में सुधार और सिंचाई हेतु जल उपलब्धता में वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। नहरों के संचालन में उपभोक्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जल उपभोक्ता संघों का गठन सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

VUjj k d k 8% चूंकि नहरों के मध्य परिकल्पित संयोजन सुनिश्चित किये बिना ही बाणसागर नहर परियोजना को पूर्ण कर दिया गया था, इसलिए राज्य सरकार को व्यापक समीक्षा के माध्यम से इस मामले में हुई कमियों का आकलन करना चाहिए, इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करना चाहिए एवं सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

VUjj k d k 9% बाणसागर डैम से जल की निर्धारित आपूर्ति प्राप्त करने तथा इससे जुड़ी नहर प्रणालियों में अग्रेतर जल प्रवाह में आ रही बाधाओं को चिह्नित करने और उसका उपाय करने की तत्काल आवश्यकता है। सृजित सिंचाई क्षमता के इष्टतम उपयोग हेतु राज्य सरकार को समयबद्धता एवं समन्वय के साथ आवश्यक कार्यों का आकलन कर उन्हें सम्पादित करना चाहिए।

VUP/kd k 10% राज्य सरकार को उन परिस्थितियों का पता लगाने के लिए उचित जांच करनी चाहिए जिनके कारण धसान नहर प्रणाली के 97,169 हेक्टेयर कमान्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का विस्तार नहीं किया जा सका।

VUP/kd k 11% राज्य सरकार को कृषि विभाग और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि उपलब्ध जल का इष्टतम उपयोग किया जा सके, फसलों में उपयुक्त क्रापिंग पैटर्न अपनाने और परिणामी उच्चतर उत्पादकता और उत्पादन प्राप्त करने हेतु कृषकों को कृषि आदानों का समय पर पर्याप्त वितरण किया जा सके। भविष्य की परियोजनाओं हेतु, हम अनुशंसा करते हैं कि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सभी हितधारक विभागों को सम्मिलित करते हुए एक कनर्वर्जेन्स प्लान होना चाहिए ताकि कमान्ड क्षेत्र का विकास समन्वित ढंग से किया जा सके।

VUP/kd k 12% राज्य सरकार को प्राथमिकता के आधार पर जल उपभोक्ता संघ के गठन की कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जनभागीदारी से नहर प्रणालियों का प्रभावी ढंग से संचालन किया जा सके।

वि. कृ. माधव

(बिजय कुमार मोहन्ती)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)

उत्तर प्रदेश

प्रयागराज

दिनांक

26 फरवरी 2023

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुमू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 02 MAR 2023